260

संख्या:– 1978 /VI(1)/2014–02(27)2010

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सेक्टर की चालू योजनाओं के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–182/2–6–68/2014–15, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत की चालू योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख में से निम्नलिखित 11 चालू योजनाओं के प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर उनके सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि अर्थात कुल ₹ 89.46 लाख (₹ **नवासी लाख छियालीस हजार मात्र)** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	भुगतान की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	जनपद नैनीताल में कालीचौड़ मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं कंकरीट पथ का निर्माण	17.18	5.00	12.18
2	विकास खण्ड चम्बा में बगासू महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	8.08	3.00	5.08
3	जनपद टिहरी गढ़वाल में लम्बगांव में बस पार्किंग के निर्माण	91.92	65.53	26.39
4	पाण्डुखोली (द्वाराहाट) में भण्डार कक्ष एवं भोजन कक्ष का निर्माण	18.88	1.00	17.88
5	जनपद पिथौरागढ़ के ध्वज पर्यटक स्थल मार्ग में रैलिंग का कार्य	4.78	3.00	1.78
6	नेहरू कालोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर का सौन्दर्यीकरण	5.00	2.00	3.00
7	विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत गुन्दियाडगांव में स्थित कपिलेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण	10.02	2.00	3.87
8	कपिलमुनि आश्रम में कपलेश्वर मंदिर तक ट्रैक मार्ग का सुधार	6.68	2.00	4.68
9	गलासी से छिपलाकेदार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण वि0ख0 धारचूला	7.87	3.00	4.87
10	रामलीला मैदान भीमगोड़ा हरिद्वार में टीन शेड का निर्माण	8.97	3.00	5.97
11	अहीर मण्डी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	8.76	5.00	3.76
	योग :–	**188.14**	**94.53**	**89.46**

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3– कार्य का पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की जांच इस आधार पर कर ली जाय कि उक्त कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार ही करायी गयी है।

4– एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।
5– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6– सभी योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि एवं न्यूनतम निविदा के सापेक्ष होने वाली बचत का विवरण एवं धनराशि कार्यदायी संस्थाओं से पर्यटन निदेशालय द्वारा प्राप्त कर राजकोष में जमा करायी जायेगी और शासन को अवगत कराया जायेगा।
7– उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
8– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–पर्यटन विकास की चालू योजनायें–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।
9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।
10– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–..... द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः– 1978 /VI(1)/2014–02(27)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
6– वित्त अनुभाग–2.
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।